



आयुष्मान भारत "निरामयम्", मध्यप्रदेश

आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक / सी.ई.ओ. / ए.बी. / 2019 / 23

भोपाल दिनांक 18/01/2019

:: आदेश ::

आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजनान्तर्गत इम्पेनल्ड चिकित्सालयों में हितग्राहियों के उपचार हेतु पैकेजस निर्धारित है। एन.एच.ए नई दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार राज्य कार्यकारणी समिति द्वारा आयोजित बैठक में एन.ए.बी.एच. प्रमाणित चिकित्सालयों को पैकेजस के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1 NABH Pre accreditation (entry level) प्रमाणित चिकित्सालय को एन.एच.ए. द्वारा निर्धारित पैकेजस से अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

2 NABH Final accreditation चिकित्सालय को एन.एच.ए. द्वारा निर्धारित पैकेजस के अतिरिक्त 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायगी।

NHA द्वारा TMS पर पैकेजस मास्टर में सुधार दिनांक 17/01/2019 को सायं 5:00 बजे किया गया है।

अतः उक्त आदेश दिनांक 17/01/2019 को सायं 5:00 बजे के बाद से Preauthorization के प्रकरणों से लागू किया जाता है।

Rishi
(रुही खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मानभारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / सी.ई.ओ. / ए.बी. / 2019 / 24

भोपालदिनांक 18/01/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. संचालक (अस्पताल प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
6. समस्त नोडल (जिला मलेरिया) अधिकारी मध्यप्रदेश।
7. समस्त इम्पेनल्ड निजी चिकित्सालय मध्यप्रदेश।
8. वेब एडमिनिस्ट्रर, वेबसाइट पर अपलोड करन हेतु।
9. आदेश नस्ती।

Rishi

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश